

N

(Printed Pages 7)

(201217)

Roll No.....

LL.B. - I Sem.

11203

LL.B. Examination, Dec. 2017

Law - V

Law of Crimes - I

(I.P.C.)

[K-1004]

(New Course)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Attempt questions from **all** sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों से निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section-A

खंड - अ

(Very Short Answer Questions)

(अति लघुउत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt **all five** questions of this sec-

P.T.O.

tions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $4 \times 5 = 20$

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुउत्तर अपेक्षित है।

1. Difference between hurt and grievous hurt. 4
उपहति (चोट) एवं घोर उपहति (गम्भीर चोट) में अंतर। 4
2. 'A' finds a ring belonging to 'Z' on a table in Z's house. 'A' dishonestly runs away with the ring without Z's consent. What crime has 'A' committed? 4
'य' के घर में, मेज पर 'य' की अंगूठी 'क' को मिलती है। 'य' की सहमति के बिना 'क' बेईमानी से अंगूठी लेकर भाग जाता है। 'क' ने कौन सा अपराध किया है?
3. Define extortion. 4
उद्दीपन की परिभाषा दीजिये।

4. Differentiate between bigamy and adultery.

द्विविवाह एवं जारकर्म में क्या अंतर है? 4

5. Essential elements of 'cheating'.

'छल' के आवश्यक तत्व बताइये। 4

Section-B

खंड - ब

(Short Answer Questions)

(लघुउत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains three questions. Attempt **any two** questions. Each question carries **10** marks. Short answer is required not exceeding 200 words.

नोट : इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिये। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। $10 \times 2 = 20$

6. Discuss 'attempt' to commit an offence and distinguish it from 'preparation' to commit offence. 10

अपराध करने के 'प्रयत्न' की विवेचना कीजिये। उसमें तथा अपराध करने की 'तैयारी' के बीच अंतर बताइये।

7. Discuss the extent to which drunkenness can be pleaded as a defence to a criminal charge?

Discuss with illustrations and case laws. 10

नशे में होना किस हद तक किसी अपराध का अपवाद माना जा सकता है? उदाहरणों एवं वादों की सहायता से व्याख्या कीजिये।

8. What is abetment? What are the various methods by which abetment is possible? 10

दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण किन-किन तरीकों द्वारा संभव है?

Section-C

खंड - स

(Detailed Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains five questions. Attempt any **three** questions. Each questions carries **20** marks. Answer is required in detail. 20×3=60

नोट : इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों को हल कीजिये। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. (a) Differentiate between murder and culpable homicide. 15

(b) 'A' knows 'Z' to be behind a bush. 'B' does not know it. 'A' intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death, induces 'B' to fire at the bush. 'B' fires and kills 'Z'. Comment on the criminal liability of 'A' and 'B'. 5

(अ) हत्या एवं अपराधिक मानव वध में अंतर बताइये।

(ब) 'क' यह जानता है कि 'य' एक झाड़ी के पीछे है। 'ख' यह नहीं जानता। 'य' की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे 'य' की मृत्यु कारित होने की संभावना है, 'ख' को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए 'क' उत्प्रेरित करता है। 'ख' गोली चलाता है और 'य' को मार डालता है। 'क' तथा 'ख' के अपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिये।

10. Explain 'constructive liability' in penal law with special reference to Section 34 (common intentions) and Section 149 (common object) of the Indian Penal Code. 20

दंड विधि में 'आन्वयिक दायित्व' की खासतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य आशय) और धारा 149 (सामान्य उद्देश्य) के संदर्भ में व्याख्या कीजिये।

11. Explain right of private defence in respect of body. State the circumstances when it extends to causing death of the aggressor. 20

शरीर की आत्म-रक्षा के अधिकार को समझाइये। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें यह अधिकार आक्रमण कर्ता की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो जाता है।

12. "Mistake of fact is a good defence, mistake of law is not". Discuss. Illustrate your answer. 20

"तथ्य की भूल अच्छा बचाव है, विधि की भूल नहीं"। स्पष्ट कीजिये। उत्तर उदाहरण सहित दीजिये।

13. It is said that in every robbery or dacoity either there is theft or extortion. Explain with the help of cases and illustrations. 20

कहा जाता है कि प्रत्येक लूट या डकैती में या तो चोरी अथवा उद्दीपन नामक अपराध निहित होता है। वादों तथा उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये।